तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 43/2020 (2020/00193) अनवान चुतराराम बनाम ओमप्रकाश वगैरा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 39 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 3 (तीन) बीघा 12 बिस्वा ग्राम शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर में है। अप्रार्थीगण संख्या एक का खसरा नम्बर 56 अप्रार्थी संख्या दो का खसरा नम्बर 57/1 है, अप्रार्थी संख्या तीन का खसरा संख्या 40 है। व अप्रार्थी संख्या 4 का खसरा संख्या 38 है, जो कि आपसे में मिलते है जिनके माठ (सेढा) आपस में सटी है जिसका नजरी नक्शा सलंग्न है। तहसीलदार लूणी के आदेश दिनांक 12.06.18 की पालना में प्रार्थी के खसरा संख्या 39 व 57 का सीमांकन किया गया व मौके पर मिटटी के निशान बनाये गये जो अप्रार्थीगण द्वारा मौके से मिटा दिये गये जिससे व्यथित होकर प्रार्थी अपनी भूमि पर स्थाई मुटाम लगवाना चाहता है जो कि प्रार्थी के लिए स्वंय संभव नहीं है। ये मुटाम केवल राजस्व विभाग की टीम द्वारा लगाये जाने पर ही मान्य होगे। सीमांकन रिपोर्ट की फोटो प्रति सलंग्न है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 39 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का ग्राम शिकारपुरा में राजस्व टीम द्वारा स्थाई मुटाम, पत्थरगढी कराने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से अधिवक्ता भागीरथ विश्नोई तथा अप्रार्थी संख्या 3/1 से 3/3 को भेजे गये नोटिस की रजिस्टर्ड ऐडी की रशीदे पेश की जो शामिल मिसल हो। अप्रार्थी संख्या 4 अनुपस्थित है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया कि पत्रावली में सलंग्न फर्द मौका दिनांक 12.6.18 के अनुसार पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है। पत्रावली पर अधिवक्ता की बहस सूनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः ग्राम शिकारपुरा के खसरा नम्बर 39, 57 का रेकडर्ड प्रार्थी खातेदार है, पूर्व में सीमाकन किया जा चुका है। अतः पत्थरगढी का आदेश ~~जरिये~~ जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 39 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 57 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा का ग्राम शिकारपुरा के पड़ौसी खातेदारान की उपस्थिति में सीमांज्ञान करवाकर बाद राजस्व नक्शें अनुसार एवं मौका फर्द दिनांक 12.6.18 अनुसार पत्थरगढी करने का आदेश तहसीलदार लूणी को दिया जाता है। आदेश लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों। (हँसमुख कुमार) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी